न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 186/2018

जितेन्द्र कुमार पुत्र मदनगोपाल जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां ...वादी

♠ बनाम ♠

1. रामचन्द्र पुत्र श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां
2. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मांगरोल तह0 मांगरोल
3. जिला कलेक्टर महोदय, बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री दया कृष्ण धाकड, श्री श्याम पारेता
दायरा दिनांकः 02.08.2018 निर्णय दिनांक : 27.12.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है वादी ने दिनांक 20.04.2016 को प्रतिवादी कम 1 से खसरा नं0 879 रकबा 1.47 है0, खसरा नं0 882 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.76 है0 आराजी में से हिस्सा 1/4 जर्ये पंजीयन कय की थी एवं प्रतिवादी कम 1 द्वारा वक्त पंजीयन कय शुदा आराजी पर वादी को कब्जा संभला कर काबिज करवा दिया था। तब से ही वादी कय शुदा आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी कम 1 के मन में बदनियति आ जाने से बेचान शुदा आराजी को पुनः बैंक के पक्ष में रहन दर्ज करवा दी है। वादी बोनाफाईड केता होने के कारण वादी कय शुदा आराजी पर खातेदारी कृषक घोषित होने का कानूनी अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादी कम 2 की रहन/मोरगेज राशि प्रतिवादी कम 1 बैंक शाखा एस0बी0आई0 शाखा मांगरोल को चुकता करने में असफल रहता है तो प्रतिवादी कम 2 वादी को बेचान शुदा आराजी से पृथक शेष आराजी या सम्पत्ति से ऋण राशि वसुल करें न कि वादी द्वारा कय शुदा आराजी से वसुल करें। वादी अपनी कय शुदा आराजी पर इंतकाल दर्ज करवाता उससे पूर्व ही प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रतिवादी कम 2 से तथ्य छुपाकर ऋण राशि प्राप्त कर ली है। वादी कय शुदा आराजी पर खातेदार घोषित होने का कानूनन अधिकारी है। साथ ही वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी अधिकारी है कि प्रतिवादी कम 1 व 2 वादी के कब्जे काश्त की आराजी मृताबिक विकय पत्र हिस्सा पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधि से करावें एवं प्रतिवादी कम 2 के विरूद्ध प्रथक से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी कम 2 की ऋण राशि का प्रतिवादी कम 1 द्वारा समय पर भुगतान ना होने पर प्रतिवादी कम 1 की अन्य आराजी एवं सम्पत्ति को निलाम कर ऋण राशि वसूल करें न कि वादी द्वारा कय

आराजी पर तथा वादी को क्रय शुदा आराजी पर शांति से काश्त करने देवें। अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 व 2 इस आशय की डिक्री पारित फरमायी जावें कि:–

01. वादी द्वारा क्रय शुदा आराजी खसरा नं0 879 रकबा 1.47 है0, खसरा नं0 882 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.76 है0 आराजी में से हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें।
02. कि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वादी के कब्जे काश्त व क्रय शुदा आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करें नही अपने प्रतिनिधि से करावें। तथा प्रतिवादी क्रम 2 को पृथक से इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा ऋण राशि नही चुकाने व कुर्की की स्थिति में वादी द्वारा क्रय शुदा आराजी हिस्सा 1/4 छोडते हुये शेष आराजी व सम्पत्ति प्रतिवादी क्रम 1 से वसूल की जायें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 02.08.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से आज दिनांक तक कोई उपस्थित नही है। प्रतिवादी क्रम 1 रामचन्द्र पुत्र श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल बाजवूद विधिवत सम्मन तामीली के भी रूक–रूक कर तीन मर्तबान आवाज दिलवाने पर भी अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी क्रम 1 को एक्स पार्टी घोषित कर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार आर्य द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया गया। लेकिन आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण में दिनांक 24.12.2018 को वकील प्रतिवादी क्रम 2 को रूक–रूक कर तीन मर्तबा आवाज लगाने पर भी अनुपस्थित। फलस्वरूप प्रतिवादी क्रम 2 को एक्स पार्टी घोषित किया गया। प्रकरण में दिनांक 26.12.2018 को वकील वादी द्वारा साक्ष्य वादी दर्ज करवायें। साक्ष्य वादी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री मदन गोपाल मीणा निवासी तिसाया के बयान करवाये। जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में दिनांक 27.12.2018 को बहस वकील वादी सुनी गयी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र व साक्ष्य के बयान में अंकन किया गया है। अतः मुताबिक वाद पत्र, साक्ष्य, सुनी गयी बहस की रोशनी में वाद वादी आंशिक रूप स्वीकार किया जाता है एवं एवं निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है:–

01. यह कि चुकि वादी का ग्राम तिसाया आराजी खसरा नं0 879 रकबा 1.47 है0, खसरा नं0 882 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.76 है0 आराजी में मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

हिस्सा 1/4 बनता है परन्तु उक्त आराजी एस0बी0आई0 शाखा मांगरोल के रहन दर्ज हैं एवं जब कि आराजी की राजस्व जमाबंदी में रहन का नोट अंकित है तब तक उक्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/4 का वादी जितेन्द्र कुमार पुत्र मदनगोपाल जाति मीणा निवासी तिसाया को खातेदार कृषक पृथक से दर्ज किया जाना न्यायोचित नही समझता है।

02. यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 से ग्राम तिसाया कि आराजी खसरा नं0 879 रकबा 1.47 है0, खसरा नं0 882 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.76 है0 आराजी में से हिस्सा 1/4 जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है एवं उक्त आराजी को प्रतिवादी कम 1 द्वारा रहन किया गया हैं अतः प्रतिवादी कम 1 व 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त व क्रय शुदा आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करें नही अपने प्रतिनिधि से करावें तथा प्रतिवादी कम 2 को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादी कम 1 द्वारा ऋण राशि नही चुकाने व कुर्की की स्थिति में वादी द्वारा क्रय शुदा आराजी हिस्सा 1/4 छोडते हुये शेष आराजी व सम्पत्ति प्रतिवादी कम 1 से वसूल की जायें।

तदनुसार जमाबंदी चौसाला में नोट अंकित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.12.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

स हा वादा क्रय शुदा आराजी पर